

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फैक्ट नं 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228066

ई-मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3 Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>

क्रमांक : एफ. ९()/आरएमएससी/भण्डार/R.O./2019-20/ ८८०

दिनांक : ०८/०८/१९

सीमित निविदा प्रस्ताव

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि., स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर मुख्यालय में प्रथम एवं तृतीय तल पर स्थापित 02 Water Purifier RO System Aqua-guard 50 LPH की वार्षिक भरमत एवं रख-रखाव (AMC) हेतु मय पार्ट्स प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। अतः इच्छुक फर्में अपना प्रस्ताव (AMC की दर + GST अतिरिक्त) दिनांक 13.08.2019 को सायं 04.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र "अ" में प्रस्तुत करें।

निविदा प्रपत्र निगम की website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है।

इच्छुक फर्में कार्यालय समय 09.00 AM to 06.00 PM के दौरान RO System का परीक्षण कर सकती है।


(मुख्य किशोर मीठा)
विशेषाधिकारी, आरएमएससी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. ए.जी.एम. (आई.टी.), आरएमएससी को प्रेषित कर लेखा है कि निगम की वेबसाइट <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in> पर Upload करवाना सुनिश्चित कराएँ।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।


विशेषाधिकारी, आरएमएससी



राजस्थान भेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, राजस्थान भवन, तिलक मार्ग, सी-एसीआर, जयपुर

फैक्ट नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3 Website : <http://rmsc.health.rajasthan.gov.in>

त्रिमांशुक : एफ. 9()/आरएमएससी/भण्डार/R.O./2019-20/

दिनांक :

वित्तीय निविदा

प्रपत्र 'अ'


AMC की दर + GST अस्तिरिक्त मय पार्ट्स

क्र.सं.	RO System	भान्ना	बौसक दर प्रांती RO System राशि ₹ (मय पार्ट्स)	GST (SGST /CGST) % राशि ₹	कुल दर (GST सहित)
1	Water Purifier RO System Aqua-guard 50 LPH	2			

नोट:- निविदा के साथ निम्न टम्प्टावेज अवश्य संलग्न करे अथवा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

- जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- पेन नम्बर।
- बैंक खाते का पूर्ण विवरण।
- फर्म के पंजीकृत कार्यालय का पता मय फोन नम्बर।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर



राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

रजि. कार्यालय: गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फ़ोन नं: 0141-2228061-62, फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल :rmsc@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 GSTIN- 08AAFCR2824M123 Website : <http://rmsg.health.rajasthan.gov.in>


RO System की वार्षिक जरूरत पूर्ण रक्षणात्मक (AMC) हेतु सीमित निविदा

1. सीमित निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाइल व ई-मेल सहित

2. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क मूल व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नम्बर


3. सीमित निविदा सूचना संदर्भ एफ.डी./भारतएससी/भण्डार/R.O./2019-20/
दिनांक
4. अपठनीय दस्तावेज की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी दस्तावेज पठनीय होना आवश्यक है। किसी भी ग्रकार से बाद में दस्तावेज सम्मिलित करने का अधिकार नहीं होगा। इस लिए वाचित सभी दस्तावेज भी निविदा प्राप्ति के साथ संलग्न करें।
5. निविदाकार पंजीकृत व्यवसायी हो।
6. हम, प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई सीमित निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित शर्तों से तथा RTPPA, 2012 व RTPPR, 2013 में ली गई उक्त नीमित निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठ/पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं)।

निविदादाता के हस्ताक्षर स्थ मोहर




**RO System की वार्षिक मरम्मत एवं रख-खात (AMC) हेतु
सीमित निविदा की शर्तें एवं कार्य**

1. निविदा सूचना में प्रकाशित शर्तें एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में उल्लेखित नियम-68 की शर्तें व राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 की शर्तें इस निविदा का भाग नानी जाएगी।
2. मूल निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 'आ' में प्रदर्शित कार्य हेतु निविदादाता अपनी दरें दर्शाएँ। निगम के प्रपत्र के अतिरिक्त निसी झन्य दस्तावेज पर दी गई दरें मान्य नहीं होगी।
3. निविदा मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिस पर निविदा कार्य का नाम अंकित होना चाहिए।
4. निविदादाता को गाह में कम से कम एक बार सभी RO System का निरीक्षण कर, RO System की कार्य क्षमता की रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करनी होगी तथा निगम द्वारा सूचना दिए जाने पर, RO System को तुरन्त छापा से त्रैक किया जाना आवश्यक है।
5. फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों (जो कि वर्तमान में नागृ GST प्रावधान के अन्तर्गत तैयार किए गए हो) का भुगतान निगम द्वारा कार्य संतोषप्रद होने की पुष्टि संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। निगम द्वारा फर्म को भुगतान RTGS/NEFT के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु निविदादाता को अपने दैक खाते का विवरण निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अधिन भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक सूचना पर किए गए कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, एवं निगम में स्वीकार करने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही को जाएगी।
7. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मुहर साहेत हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तों को सापूर्ण रूप में स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
8. निविदा प्रपत्र में किसी प्रकार की कॉट ईड व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कॉट छाँट/ओवर राईटिंग होने पर निविदा उत्तीर्ण हो दी जाएगी।
9. किसी भी निविदा को सीकरण या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जलपुर द्वारा होगा।
10. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों व राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार 03 दिवस में कार्य पूर्ण नहीं होनी की पिछति में परिसमाप्ति नुकसानी (LD) राशि ₹ 500/- प्रतिदिवस करावा दी जाएगी।
11. कार्यादेश के अनुसार कार्य एक दिवस तक करना होगा। RO System खराब होने की सूचना निविदा में दिए गए नीबाहिल/हैफ्लाईन और अथवा ई-मेल द्वारा दी जाएगी। फर्म द्वारा RO System को 02 दिवस में ठीक नहीं किये जाने पर, फर्म को Risk & Cost पर निगम द्वारा RO System को अपने तत्त्व पर ठीक कराया जाएगा जिसके ब्यवहार की राशि फर्म को देय भुगतान से बसूल की जाएगी।



12. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार – बोली सूच्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–
- (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली सूच्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव लिन्दू की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है। ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई सूच्या वें सुधार किया जायेगा;
 - (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होगे और योग में सुधार किया जायेगा; और
 - (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामले में उपर्युक्त स्थग्न (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए उनकों में अफिल्डल रकम अभिभावी होगी।
14. सत्यनिष्ठा संहिता – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यवित, –
- (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज़ में किसी विश्वास, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्त्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।
 - (ख) सूचना का ऐसा दूर्व्यवदेशन या लोप जूँड़ी करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त नहीं हो जिस द्वारा उपापन से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह छारने का प्रयत्न करता हो।
 - (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पत्तिता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरसिसंधि, बोली में दूँड़ गूँड़ या गतिविधि आवरण में लिप्त नहीं होगा।
 - (घ) उपापन संरक्षा और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में लेनुचिन रूप प्राप्त करने के आशय से दुर्लपयोग नहीं करेगा।
 - (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की दिन किसी भी पक्षकार के या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ द्वारा संखारने, ऐसा करने के लिए धमकाने संहित किसी भी घटीड़म में लिप्त नहीं होगा।
 - (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्यथा या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
 - (छ) हित का विरोध, रटि कोड़ हो, प्रकट करेगा।
 - (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भाज्न या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्ण नियमण्य को प्रतिवेदित करने का अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
15. हित का विरोध –
- (1) किसी उपापन संस्था या संसदे कार्यकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी विधाने वाली माना गया है जिसमें एक गक्षकार के ऐसे हों जो उस पक्षकार के दीर्घ वर्त्ये द्वारा भास्रतारोत्त्व, अविद्यागत बाध्यताओं के पालन, या लानू विविधों लोह विनियोगों द्वारा उपापन संस्था हासा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।
 - (2) उन विधियों में, जिनमें द्वारा उन कार्यकों के विरोध में




समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्बिलित हैं, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-

- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि अड्डर वृत्तिक या अण संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक लक्ष्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में डरनक्षेत्र करते हों या हातीप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की भौतिक वित्तीय विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाध्य किटा रखने व्यक्ति के सम्बन्धित उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपापन संस्था की विधियों में उसका हो, हित में विशेष अव्यवहार कर सकेगा।
- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की बानीय वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अलैंत ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति वर उसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहा उपापन संस्था का कार्मिक उत्पन्न या उपस्थित रूप से, लूटभाड़ा, मिठाया या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, साहेत किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनियोग से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्बन्धित लाभ है।
- (3) कोई बोली उत्पन्न जाता हिसे उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में अन्य जातियों जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्भिलित हैं तिन्हीं इन तम सम्भिलित नहीं हैं यदि—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार हैं।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी उत्पन्न या अत्यधिक अद्यायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की हैं।
- (ग) उनका उस बोली रूप पर्यावरणों की लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका उत्पन्न रूप से या समान तीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे अपने नेटो वार में उपर्युक्त तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्राप्त लाभने की विधिरे उत्पन्न हो।
- (ङ) कोई बोली उत्पन्न वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंचारकार को एक से अधिक बोली में सम्भिलित होने से सोभिलित नहीं कारबाह है जो दो बोली उत्पन्न जाते के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

ग

- (च) बोली उत्पन्न वाले सा उत्पन्न सहबद्ध किसी व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन भी विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सहायकार के रूप में मार्फत लिया है। अभी बोली उत्पन्न वाले अहंता क्षमता और बोली प्रक्रियां दो इह विकास उत्पन्न उपापन जागरूकों के बोली उत्पन्न वाला उस सहायकार या जिसे जो उत्पन्न वित्ती उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश विवर अथवा उपायों द्वारा किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अत्र उत्पन्न रूप में नहीं असहज है और नहीं संतुष्ट रहा है या संविदा के लिए



परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रत्यापित किया जा रहा है।

16. उपापन प्रक्रिया के दौरान जिकायतीं का विस्तारण - ब्रह्म अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा रक्षण एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन हैं।

1 अपील:-

(1) राजस्थान लोक संघापन में प्रबन्धित अधिनियम 2012 की धारा 40 के अधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाते था या भाँती बोली लगाने वाला इस बात से व्यक्ति है कि उपापन भूमि टम कोई निर्दय काहीवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन उत्तरी निर्देशों या सार्वजनिक के उत्तरधन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभित किया जाये, तिनिदिव्य आधार, स्तिथि कर या फिल पर वह व्यक्ति है, रपष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या गठानिश्चिति, लोप की सारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अकाली जा वृद्ध-अहंता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टर्ड करण दस्तावेजों या बोली उभावेजों के विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रक्रम-सं) में उपोल टॉड्ड कर रक्खा।

परन्तु बोली लगाने वाले को सफल हीन की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाते थाले दस्तावेज की रूप संकेति जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी उसी अपील अधीन लंगथा वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तबाहीय तोरी कर दूर्वाला करायी है तबीं वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के हासा अंतिम की जा सकती जिसकी तकनीकी बोली एकात्म होने जाती जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभित अधिकारी पक्षकारों को सुन जान का युक्तियुक्त अदार ब्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित कराया जिस प्राप्ति संदेश ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए जिसमें और सार्वजनिक विभागों के अधिकारी और यूव-अहंता के दस्तावेजों बोली लगाते थाले के अवधारित करण दस्तावेजों या, यथानिश्चिति, बोली दस्तावेजों के निवारण की जाना जिस है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (1) के अधीन पक्षकारी आदेश के अध्यवधि रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारी पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी जिसके रास्ते उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव दोष नीचात दर्शाये जाएं अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे लिपटान का प्रयत्न करें।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन प्रदर्शित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि जो भीतर सहत उप-धारा के अपील वायित अपील को निपत्ताने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने या भाँती बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन वायित आदेश से व्यक्ति है तो बोली लगाने वाला या भाँती बोली लगाने वाला या अपील वायित उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि जो अपेक्षित न हो उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की वायित को प्रारंभित के भीतर दौड़ाने वाला या अपील वायित को प्रारंभित के भीतर दौड़ाने वाला इस-




निमित पदाभिहित विशेषी अधिकारी द्वारा अधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

- (5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की जांच पर नकल सप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पश्चात्तर को सुन रखने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवलोकित करते हैं कि यह उपायन संभवा ने इस अधिनियम, इसके अधीन अवलोकन के अधीन अपील की दाखिलकरण दस्तावेजों या, पूर्व-अहेतु जै दस्तावेजों, बोली उपायन दाखिले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथारिताते बोली दस्तावेजों के निपटाने का वालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश प्राप्ति होता है। उप-धारा की ओर अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।
- (6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत अपील सप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा—सम्बद्ध रौप्य अधिकारी पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिनांक से अधिक अवधि इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि अद्विकार्य या इन्वेस्टिगेशन के अन्तर्गत सप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वीकृत अधिकारी के द्वारा अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो इसके लिए कारण अधिकारी द्वारा करेगा।
- (7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके अन्तर्गत अपील सप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल छोड़ रखकरी को, सुन-दाढ़त के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथारिताते बोली दस्तावेजों में उपर्युक्त किया जाएगा।
- (8) सप-धारा (1) और (4) के अधीन प्राप्ति अपील ऐसे प्राप्ति से और ऐसी रीति से दाखिल होगी और साथ ऐसी फैसले होगी जो विद्वित की जाएँ।
- (9) इस धारा के अधीन अपील बोली युक्तवाह के प्रसाप संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया-नियमों का अनुसार लेगा।
- (10) लोड भी ऐसी स्वतन्त्र जो शर्त उपर्युक्त अनुस्थान हितों के संरक्षण का छापा करेगी या उसे विभीत प्रक्रिया के अन्तर्गत अनुसार आलेगी या बोली लगाने काले या उपायन उपर्युक्त विभाग दस्तावेज व्याप्रियकृत हितों पर प्रतिकूल प्रभाव करेगी, तो इस धारा के अधीन को विभीत उपर्युक्त अनुसार आलेगी, इस धारा के अधीन को विभीत कार्यपाली में पकड़ भगी की जाएगी।

17. अपील का प्रस्तुप — (1) राजस्थान लोड अनुसार में अनुरोधित अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (6) के अधीन लोड अपील प्रक्रिया में अलगी प्रतिकूले के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यक्षी हैं।

- (2) प्रत्येक अपील उस आवश्यक जिसके द्वितीय अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में अनुरोधित अधिकारी या अपील प्रतिकूले के साथ यथा अपील की कात के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (3) प्रत्येक अपील प्रतिकूल अपील प्रतिकूली या, यथारिताते द्वितीय अपील प्राधिकारी को अनुरोधित या रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज की जाति के अनुसार से प्रस्तुत की जाए सकती है।

18. अपील फाइल करने के लिए काम — (1) प्रत्येक अपील को जिस की दो वज्र फाँच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए इस रुपये के दो गुने की आपातीदेव होंगी।



- (2) फीस का रोटाय किसी अधिकारीकृत बदल के दैनंदिन प्रागदेव खापड़ या बैंकर चैक के रूप में किया जाएगा जो संबंधित अपील प्राइवेटरों के नाम देय होगा।
- 19. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –** (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर उत्तरीय या संबंधित शास्त्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ चौटिस भागी लाएगा और सुनवाई जो तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,
- (क) उसके समझ लप्पीशहर अपील के समरूप लक्षणों को सुनवाई करेगा; और
- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुमित्र आमंत्रण या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, भागी से संबंधित दस्तावेजों, गुरुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।
- (4) उपर नियम (3) के अधीन यारित लाइन लोड समाप्त पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
- 20.** निविदादाता को यह लिहा कर देना दोया कि उसके द्वारा राजस्थान राज्य में वर्तमान दर संविदा अद्यि में नियमित ग्राम्य दरों से कम दरी पर दिल्ली भी विभाग, नियम, बोर्ड, अन्य स्वायतशासी संस्थाएं आदि को समझी की आगृहित नहीं हो जाएगी।
- 21.** उपर्युक्त शर्तों के अन्तिरिक्ष सम्मानित विविध सम्बन्ध वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोड समाप्त में प्रत्यार्थीता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानानुसार लागू होगी।
- 22.** आपसी सहमति से इस संलेह राजस्थानी उम्मीद द्वारा उपर्युक्त राजी है।
- 23.** किसी भी उत्पन्न विवाद की विधियों में व्यापार व्यवसाय व्यापार (उद्योग/राजस्थान) होगा।
- मैंने/हमने उपर्युक्त राजी शर्तों को समझानी पूरी तरह लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त समरूप शर्तों को दिल्ली राजी/राजीना।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय भोहर

